(25)

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

1. रामविशाल तनय श्री सुबुद्धी काछी
2. भगौती तनय श्री मैना लोहार

दोनो निवासी ग्राम–सगरा खुर्द, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद तनय श्री द्वारिका प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम टटिहरा, तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)
2. राजकरण पाण्डेय तनय श्री पदमाक्ष पाण्डेय, निवासी ग्राम सिगटी तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर रीवा जिला रीवा (म.प्र.)
4. आयुक्त रीवा संभाग रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)
6. तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका कमांक/5025/2016 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 के परिपालन में पुनर्विलोकन विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के रामेश्वर प्रसाद बगैरह बनाम म.प्र. शासन प्रकरण कमांक आर/2471/दो/2002 पारित आदेश दिनांक 28.04.2003।

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू. रा. सं. 1959 ई.।

मान्यवर

आधार पुनर्विलोकन निम्न है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3592–दो/2016 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–11–16	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री विजय द्विवेदी उपस्थित। आवेदक को ग्राह्यता व स्थगन बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 5025/2016 में पारित आदेश दिनांक 16–09–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन प्रस्तुत की गई है। 4/ आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अभिलेख का तथा न्यायालय राजस्व मंडल के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदकगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार हनुमना, जिला–रीवा के समक्ष एक आवेदन–पत्र संहिता की धारा 115 व 116 एवं सहपठित धारा 32 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 107 रकबा 3.73 एकड़, 108 रकबा 5.92 एकड़ तथा 104/1 रकबा 5.00 एकड़ कुल किता 3 रकबाई 14.64 एकड़	

लगानी 18.50 रुपये स्थित– ग्राम सगरा खुर्द पटवारी हल्का हनुमना का मालिक भूमिस्वामी अपने पूर्वज एवं अपने–अपने हक में घोषित किये जाने बावत निवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार हनुमना द्वारा आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण का नाम व हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 02.08.97 को पारित किया, इसी आदेश के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना, जिला–रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 07/अ–129/2001–02 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश 16.05.2002 द्वारा अपील स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे प्रकरण क्रमांक 2471/दो/2002 पर पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 28.04.2003 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना द्वारा प्र0क्र0 07/अ–129/01–02 में पारित आदेश 16.05.2002 सारहीन मानते हुये निरस्त किया गया, इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में रिव्यु प्रकरण पेश किया गया, जिसमें प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1712–तीन/93 में पारित आदेश दिनांक 19.05.15 द्वारा तहसीलदार हनुमना का प्रकरण क्रमांक 27/अ–6–अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 02.08.97 को यथावत रखा गया। न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका पेश की गई, जो याचिका क्रमांक/5025/2016 में पारित आदेश दिनांक

16.09.2016 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत याचिका सारहीन एवं ठोस आधार के अभाव में निरस्त किया गया । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों में आवेदकगण पक्षकार ही नहीं थे और न ही उनके द्वारा अन्य किसी सक्षम न्यायालय में इस प्रश्नाधीन आदेश को चुनौती दी गई है। ऐसे में यदि वे प्रकरण का निराकरण कराना चाहते है तो न्यायालय राजस्व मंडल में पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के याचिका क्रमांक– 5025/16 पारित आदेश दिनांक 16.09.16 के निर्देशानुसार आवेदकगण ने पुनः इस न्यायालय में पुर्नविलोकन का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है।

5/ आवेदकगण के द्वारा इसके पूर्व में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जो प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1712–तीन/93 में पारित आदेश दिनांक 19.05.15 द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया है। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस न्यायालय में बंधनकारी होता है, किन्तु मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पक्षकार को एक ही बार पुर्नविलोकन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। अतः यह पुर्नविलोकन का आवेदन अमान्य किया जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक

16–09–2016 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है ।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य